रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 163] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1999/चैत्र 10, 1921
No. 163] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1999/CHAITRA 10, 1921

संस्कृति विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1999

का.आ. 202(अ).— जबकि केन्द्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि ललित कला अकादेमी के प्रबन्धन को ललित कला अकादेमी की धारा 3 की उप-धारा (i) (प्रबन्धन का अधिग्रहण) अधिनियम, 1997 (1997 का 17) के अन्तर्गत इस सरकार को सौंपने का प्रयोजन पूरा हो गया है ।

अतः, अब ललित कला अकादेमी की धारा 6 की उप-धारा (i) (प्रबन्धन का अधिग्रहण) अधिनियम, 1997 (1997 का 17) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ललित कला अकादेमी के प्रबन्धन का एतद्द्वारा अप्रैल, 1999 के 29वें दिन से परित्याग करती है ।

[सं. 3-5/99-डेस्क (पी.ए.)]

डॉ. आर.वी. वैद्यनाथ अय्यर, सचिव

DEPARTMENT OF CULTURE

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1999

S.O. 202(E).— Whereas it appears to the Central Government that the purposes of vesting of management of the Lalit Kala Akademi in that Government under Sub-section (i) of Section 3 of the Lalit Kala Akademi (Taking Over of Management) Act, 1997 (17 of 1997) have been fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 6 of the Lalit Kala Akademi (Taking Over of Management) Act, 1997 (17 of 1997), the Central Government hereby relinquishes the management of the Lalit Kala Akademi with effect from the 29th day of April, 1999.

[No. 3-5/99-Desk (PA)]

Dr. R.V. VAIDYANATHA AYYAR, Secy.

944 GI/99

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054